रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252364
SG-DL-E-26022024-252364

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]	दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 2024/फाल्गुन 2, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 440
No. 69]	DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2024/PHALGUNA 2, 1945	[N. C. T. D. No. 440

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

फा. सं. 22(21)/भर्ती नियम/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट/प्रशा0/महि0 एवं बा0 विका0/2022/926.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–एच आई एम(i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :–(i) इन नियमों को "महिला एवं बाल विकास विभाग, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, भर्ती नियमावली, 2022" कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, तो वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :—इन नियमों में केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट
2.	**पदों की संख्या**	:	01*(2024) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6 (रुपये 35400–112400 / –)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीपः**–आयु–सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्यः**– (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से ऑक्यूपेशनल थेरेपी में स्नातक उपाधि। (ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल अथवा संस्थान में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रूप में दो वर्षों का अनुभव। अथवा (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड / संस्थान से विज्ञान (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान) के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से ऑक्यूपेशनल थेरेपी में दो वर्षों की अवधि का डिप्लोमा। (iii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल / संस्थान में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रूप में तीन वर्षों का अनुभव। **टीप 1**:–अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवके पर शिथिलनीय हैं।

			टीप 2 :—यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी के विवके पर शिथिलनीय है / हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु–सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लगू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष **टीप** : सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होना चाहिए।
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा **टीप** :पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार के अधिकारियों से भरा जा सकता है– (क) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; तथा (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षो से अधिक नहीं होगी।)
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	स्थायीकरण के विचारार्थ समूह 'ख' विभागीय स्थायी करण समिति– 1. अपर सचिव (वित्त) / प्रधान सचिव (वित्त) —अध्यक्ष 2. प्रशासनिक सचिव, महि0 एवं बा0 विका0 विभा0, रा0रा0क्षे0दि0सर0 —सदस्य 3. विशेष / अपर सचिव (सेवाएं) —सदस्य **टीप :– यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।**
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	पद भरने हेतु आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कृष्ण कुमार, विशेष सचिव–सह–निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th February, 2024

F. No. 22(21)/RR/Occupational Therapist/Admn./WCD/2022/926.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number F-27/59-Him. (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of 'Occupational Therapist' in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely: -

1. **Short title and commencement**: - (i) These rules may be called the 'Department of Women and Child Development, Occupational Therapist, Recruitment Rules, 2024'.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and level in the pay matrix**: - The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc:** - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification:** - No person:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax:** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Occupational Therapist	01* (2024) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group- 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial,	Level – 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix of 7th CPC	Not Applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/ Competent Authority.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
7	8	9
ESSENTIAL: (A) (i) Bachelor Degree in Occupational Therapy from a recognized Institution. (ii) Two years experience as Occupational Therapist in a recognized hospital or Institution. OR (B) (i) 12th Class pass with science (Physics, Chemistry and Biology) from a recognized Board/Institute. (ii) Diploma of two years duration in occupational therapy from a recognized University/Institute. (iii) Three years experience as occupational therapist in a recognized hospital/ Institution. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidate belonging to Scheduled Castes or Schedules Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not Applicable	Two years **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Competent authority.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
10	11
By direct recruitment. **Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:- (a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; and (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. (The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13
Group- 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation: 1. Addl. Secretary (Finance)/Pr. Secretary (Finance) – **Chairman** 2. Administrative Secretary, DWCD, GNCTD – **Member** 3. Special/Addl. Secretary (Services) – **Member** **Note:- Senior most member of the departmental Confirmation committee shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.**	Consultation with the Commission is not necessary for filling up the post.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

KRISHAN KUMAR, Spl. Secy.-cum-Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.